

1. ई-नीलामी 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जाएगी।

2. ई-नीलामी का आयोजन पोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर दि.28/12/2020 11.00 ए.एम. से 12.00 ए.एम. के बीच, 10 मिनट के स्वतः विस्तार के साथ होगा. सम्पत्ति के निरीक्षण का समय 12.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. के बीच दि. 22/12/2020 है और इएमडी जमा करने की अंतिम तिथि दि.24/12/2020 को 4.00 पी.एम. तक है।
3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ ब) ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
4. निविदाकर्ता <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं. निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा।
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण: केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है. केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी. (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की इएमडी धनराशि को ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना - ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनएफटी/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
4. ई-नीलामी प्लेटफार्म (<http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <http://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है. ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <http://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-क्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं । इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
5. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी इएमडी अग्रिम रूप से ग्लोबल इएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर इएमडी धनराशि इएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण,

केवाईसी दस्तावेजों की जांच और इएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त इएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त इएमडी होनी चाहिए ($\geq$ इएमडी)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग इएमडी जमा करना होगा।

6. ऊपर बताई गई अग्रिम जमा राशि (इएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट/अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<http://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल इएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। इएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी इएमडी वालेट में मांगी गई इएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अग्रिम जमा राशि (इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के इएमडी वापस की जाएगी।
7. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रिजर्व मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। रिजर्व मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली 'पब्लिक विक्रय नोटिस' में वर्णित धनराशि को गुणांक (multiple) में बढ़ा सकता है, जो विक्रय की शर्तों के अंतर्गत हो। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
8. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों/अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
9. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु प्रापर्टी के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक प्रापर्टी के विवरण के साथ दी जाएगी।
10. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बोली पर बढ़ती धनराशि' में अथवा गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई-नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा। (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (रिजर्व मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा सीएमडी को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75% 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के खाते में निम्न प्रकार होगा :-

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड
3341773607	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया रीजनल आफिस कानपुर	CBIN0281432

सफल निविदा कर्ता द्वारा यथोक्त समय में विक्रय मूल्य जमा न करने पर पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी होगी। चूकने वाले निविदाकर्ता को सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार या धनराशि पर नहीं होगा।

12. खरीददार को लागू स्टैम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा और सभी वैधानिक/गैर वैधानिक देयों, करों/किरायों, प्रभार, शुल्क आदि जो किसी को देय हों, का भुगतान करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
14. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टैप ड्यूटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
16. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार/देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

18. . निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <http://www.mstcecommerce.com>, www.ibapi.in और [www. Centralbank ofindia.co.in](http://www.Centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
19. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विद्युत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा. इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाय, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
20. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.
21. इच्छुक निविदाकर्ता अपने खर्चों पर उल्लिखित समय एवं तिथि पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं. शीर्षक दस्तावेजों और दूसरे दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के पास उपलब्ध है. इच्छुक निविदाकर्ता सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के उन्नाव कार्यालय में दि.22/12/2020. को कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
22. विस्तृत विवरण के लिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर में श्री आशीष कुमार शुक्ला मो.नं.+91-8303713688 और श्री अंशुमान सिंह मो. नं. +91-8303713701पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक विक्रय नोटिस

दिनांक :06.12.2020

स्थान : कानपुर

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया